कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

पत्रांक– 681 /रामपुर/27293/2017, दिनांक, लखनऊ, सितम्बर 06 , 2017

सेवा में,

वन संरक्षक,
मुरादाबाद वृत्त,
मुरादाबाद।

विषयः रामपुर में स्वार–बिलासपुर मार्ग किमी0 13 की बायीं पटरी पर ग्राम–मेंहदीनगर, तहसील–स्वार के खसरा सं0–132 पर एच0पी0सी0एल0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग हेतु 0.064148 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 03 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ : आपका पत्रांक–572/14–1, दिनांक 23.08.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयगत प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। उक्त प्रस्ताव का परीक्षण किया गया प्रथमदृष्टया परीक्षणोपरान्त विदित होता है कि प्रस्ताव के साथ कतिपय बिन्दुओं की सूचनायें पूर्ण एवं सुसंगत नहीं हैं, जो निम्न प्रकार हैं :–

1– प्रस्तावित वनभूमि की गणना में प्रवेश मार्ग के क्षेत्रफल–213.94 हे0, निकासी मार्ग के क्षेत्रफल–213.94 हे0 एवं मध्य भाग के क्षेत्रफल–177.60 हे0 का योग 0.060548 हे0 होता है, किन्तु प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्रफल 0.064148 हे0 अंकित किया गया है, जो त्रुटिपूर्ण है।

2– प्रस्ताव के साथ संलग्न संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट पर प्रयोक्ता एजेंसी के सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर अंकित नहीं हैं। सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर अंकित कराकर, ऑनलाइन अपलोड कर प्रस्ताव के साथ संलग्न करने का कष्ट करें।

3– प्रस्ताव के पृष्ठ–38 पर संलग्न अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0, रामपुर के पृष्ठांकन में उल्लिखित मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, मुरादाबाद के समसंख्यक पत्र दि0 13.07.2017 की सत्यापित प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न करने का कष्ट करें।

4– प्रस्तावित स्थल के डिजिटल मैप में समस्त Key Point के अक्षॉश व देशान्तर अंकित नहीं किये गये हैं। अंकित अक्षॉश व देशान्तर किस बिन्दु से सम्बन्धित है, यह भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। स्पष्ट करते हुए संशोधित डिजिटल मैप ऑनलाइन अपलोड करते हुए प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।

5– अधिकतर अभिलेखों में प्रयोक्ता एजेंसी के सक्षम अधिकारी द्वारा सील के ऊपर हस्ताक्षर न कर सील के नीचे हस्ताक्षर किये गये हैं, जो सुसंगत नहीं हैं।

उपरोक्तानुसार सूचनाओं एवं अभिलेखों को पूर्ण करने हेतु किसी प्रतिनिधि को अधिकृत करते हुए प्रस्ताव की प्रतियॉ इस कार्यालय से प्राप्त करा लें एवं सूचनाओं व अभिलेखों को पूर्ण कर संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को शीघ्रतिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा0 प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक / , उक्तदिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपरोक्त के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, रामपुर। किसी प्रतिनिधि को अधिकृत करते हुए प्रस्ताव की प्रतियॉ इस कार्यालय से प्राप्त करा लें एवं सूचनाओं व अभिलेखों को पूर्ण कर संशोधित प्रस्ताव वन संरक्षक, मुरादाबाद को शीघ्रतिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2– श्री एस0के0सिन्हा, विधिवत गठित नयायवादी, एच0पी0सी0एल0, मेरठ रिटेल क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ। सम्बन्धित सूचना एवं अभिलेख प्रभागीय निदेशक, रामपुर को शीघ्रतिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(डा0 प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।